



कार्यालय प्राचार्य, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, नौगाँव

जिला-छतरपुर(म.प्र.) - 471201

(म.प्र. शासन द्वारा वर्ष 2012 में स्थापित)

फोन(ऑफिस):07685-292217,292218

फैक्स:07685-292217

ईमेल:enggc.collegenowgong@rediffmail.com

वेबसाइट:www.nec.nowgong.in

क्र०/ई०सी०एन०/कार्या०/2024/644

नौगाँव दिनांक
22/02/2024

// अति आवश्यक सूचना //

संस्था में अध्ययनरत् समस्त पात्र छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में जिन विद्यार्थियों ने MPTASS Portal एवं MP 2.0 Scholarship Portal के माध्यम से अपना फॉर्म भरा है वे दिनांक 02/03/2024 तक पुस्तकालय में अनिवार्य रूप से जमा करें।

अन्यथा छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त न होने के जिम्मेदार छात्र/छात्रा स्वयं होंगे।

छात्रवृत्ति फार्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज निम्न क्रम में संलग्न करें-


1. छात्र/छात्राएँ सभी सेमेस्टर की नवीन अंकसूची की छायाप्रति।
2. छात्र/छात्रा का कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति का प्रमाण पत्र।
3. पिता के नाम से डिजिटल आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
4. पिता/माता (एक अथवा दोनो की) शासकीय सेवक होने की स्थिति में नियोजक द्वारा प्रदाय किया हुआ फॉर्म-16 की अनिवार्य रूप से छायाप्रति जमा करें।
5. विद्यार्थी के नाम की बैंक पासबुक की छायाप्रति आई०एफ०एस०सी० कोड सहित।
6. आधार कार्ड की छायाप्रति।
7. समग्र आई०डी० की छायाप्रति।
8. EKYC आधारकार्ड नं० को खाते से लिंक कराना अनिवार्य है।
9. डिजिटल स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
10. मध्यप्रदेश का डिजिटल मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
11. फीस रसीद की छायाप्रति।
12. एडमिशन रसीद की छायाप्रति।
13. नवीन आवेदक छात्र/छात्राएँ दसवीं एवं बारहवीं की अंकसूची की छायाप्रति।
14. लेटरल एन्ट्री के छात्र/छात्राएँ डिप्लोमा एवं दसवी की अंकसूची की छायाप्रति।
15. समस्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए अपना आधार कार्ड अपने बैंक खाते से लिंक कराने का प्रपत्र/Annexure A अनिवार्य है।

नोट-

1. यदि संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज ऋटिपूर्ण अथवा अप्राप्त रहता है तो प्रथम दृष्टया उनका छात्रवृत्ति हेतु आवेदन ऑन लाइन प्रक्रिया में निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए छात्र/छात्राएँ पूर्णतः स्वयं जिम्मेदार होंगे। छात्र/छात्रा अपना मोबाइल नं० एवं ई-मेल आई०डी० अवश्य लिखे ताकि छात्रवृत्ति फॉर्म में कोई कमी या ऋटि होने पर आपको सूचित किया जा सके।
2. समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि पात्र योजनाओं का लाभ लेने वाले विद्यार्थी यदि किसी भी प्रकार की कोई भी गलत जानकारी देते पाये जाने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक/वैधानिक कार्यवाही की जायेगी समस्त जबाबदारी स्वयं की होगी।
3. किसी भी छात्र को एक पाठक्रम के लिए कोई एक छात्रवृत्ति दी जा सकती है। अतः ऐसे छात्र जो पूर्व में किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ ले रहे हैं उन्हें इस छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।

(पृष्ठ 01)


4. समस्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर उसका खाता नंबर संस्था में जमा करे। कियोस्क बैंक एवं जन-धन खाते का उपयोग न करे।


प्राचार्य
इंजीनियरिंग महाविद्यालय
नौगाँव, जिला-छतरपुर (म0प्र0)

पृ0क्रं0/ई0सी0एन0/कार्या0/2024/ 645
प्रतिलिपि-

नौगाँव दिनांक
22/02/2024

1. समस्त विभागाध्यक्ष (सिविल इंजी0 एवं मैके0 इंजी0) विभाग की ओर विद्यार्थियों को सूचित करने हेतु।
2. पुस्तकालय प्रभारी, पुस्तकालय विभाग की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. बेंबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।


प्राचार्य
इंजीनियरिंग महाविद्यालय
नौगाँव, जिला-छतरपुर (म0प्र0)